न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : 250 अपील 17/1111/2014 बनाम सरकार
17.03/2017

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.1.18	पत्रावली पेश हुई। वकला पक्षकार उपस्थित। बहस सुनी नहीं जा सकी आदेश पत्रावली दि० 26.2.18 को पेश हो। साबिक स्थगन आदेश यथावत रहेगा। (हस्ताक्षर) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
26.2.18	पत्रावली पेश हुई। वकला पक्षकार उपस्थित। अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से खारिज हो। निर्णय बर इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 03/2017

गंगासहाय पुत्र बल्लू उर्फ बलदेव मीणा, जाति–मीणा, निवासी–बाढराजपुरा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार–कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, कोटखावदा दिनांक 30.12.2016 पत्रावली संख्या 41/2016 उनवानी सरकार बनाम गंगासहाय)

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक : 26.02.2018**

तहसीलदार, कोटखावदा ने अपनी आज्ञा दिनांक 30.12.2016 द्वारा अपीलान्ट् गंगासहाय पुत्र श्री बल्लू उर्फ बलदेव, जाति–मीणा, निवासी–बाढराजपुरा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर को आराजी खसरा नम्बर 116 कुल रकबा 0.75 हे0 किस्म जमीन चारागाह भूमि पर 0.0025 वर्गमीटर पर नवीन निर्माण कर तथा 0.0500 हे0 पर बाड़ लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित कर अपीलान्ट गंगासहाय पुत्र श्री बल्लू उर्फ बलदेव, जाति–मीणा, निवासी–बाढराजपुरा, तह0–कोटखावदा, जिला–जयपुर (गैरसायल) को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान राशि 0.21 की 50 गुणा राशि रू0 10 रूपये 50 पैसे अर्थात् 11/–रूपये की शास्ति आरोपित कर, आदेश की पालना में टी.आर.ए./पटवारी हल्का को मांग कायमी, बेदखली हेतु लिखे जाने के तथा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के लिए 1 माह का सिविल कारावास के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री राजकुमार शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा 30.12.2016 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट् को बिना साक्ष्य–सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना मात्र

पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर मनमाने तौर पर एकतरफा आज्ञा पारित की है, जो निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट् का कभी कब्जा–काश्त नही रहा है। अपीलान्ट् को बिना सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना मनमाने तौर पर एक–तरफा आज्ञा पारित की है जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट् को अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस मिलने पर अपीलान्ट्–गैरसायल अधीनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित हुआ है और अपीलान्ट् ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया है कि उसका वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा–काश्त नही रहा है इसके बावजूद भी अपीलान्ट् के जवाब को नजरअन्दाज कर मनमाने तौर पर एकतरफा आज्ञा पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट् के विरूद्ध दिनांक 25.10.2016 को पटवारी हल्का द्वारा नवीन निर्माण कर एवं बाड़ लगाकर कब्जा कर अतिचार करने की रिपोर्ट की है, जिसके सम्बन्ध में कोई नोटिस न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया है और न ही अपीलान्ट्–गैरसायल को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस/सूचना प्राप्त हुई है। विवादग्रस्त आराजी पर सम्वत् 2072 में भी अतिचार किये जाने का इन्द्राज दर्ज पटवारी रिपोर्ट है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नही है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में जाँच की गई है। पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिचार का कोई साक्ष्य–सबूत न होने के बावजूद अपीलान्ट्–गैरसायल को सिविल कारावास जैसा कठोर दण्ड दिया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट् का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा–काश्त नही रहा है और न ही किसी अन्य प्रकार से अतिचार किया है परन्तु पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना तथ्यों की जॉच किये मनमाने तौर पर अतिचार का दोषी व पश्चात्वर्ती अतिचार का दोषी मानकर सजा दी है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 30.12.2016 निरस्त फरमायी जावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्–गैरसायल को विधि–पूर्ण तरीके से नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट्–गैरसायल अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई साक्ष्य का विधि–पूर्वक नोटिस एवं समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद ही अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया है । विवादग्रस्त आराजी

राजस्व अभिलेख में चरागाह दर्ज है इसके अन्यथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। वरवक्त बहस अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक ने पूर्ववर्ती अतिचार के लिऐ भी इन्कार किया है परन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 01.02.2016 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट् बार–बार अतिचार किये जाने का आदी है । पूर्व में अतिचार किये जाने पर अतिचार का दोषी ठहराया जाकर खड़ी फसल को कब्जे राज लिया जाकर नीलाम किया गया है। चरागाह भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है। अतः अपील–अपीलान्ट् खारिज फरमायी जावें।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 25.10.2016 एवं दिनांक 01.02.2016 में विवादग्रस्त आराजी, चरागाह होना दर्ज है इसके खण्डन में अपीलान्ट् द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य है जो यह जाहिर करते हो कि विवादग्रस्त आराजी चरागाह नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 25.10.2016 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर हैं कि अपीलान्ट्–गैरसायल द्वारा ग्राम बाढराजपुरा की आराजी खसरा नं0 116 कुल रकबा 0.75 हे0 चरागाह में से 0.0025 वर्गमीटर पर नवीन निर्माण कर एवं 0.0500 वर्गमीटर पर बाड़ लगाकर अवैध रूप से कब्जा किया हैं। कार्यवाही फसल जब्ती व नीलामी दिनांक 30.03.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त चरागाह आराजी फसल काश्त गेंहू सम्वत् 2072 को कब्जे राज लिया जाकर अतिक्रमी गंगासहाय पुत्र बल्लू उर्फ बलदेव मीणा को मौके से बेदखल किया गया है। पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जो यह सिद्ध करते हो कि अपीलान्ट् द्वारा सम्वत् 2073 में राजस्व अभिलेख में दर्ज चरागाह आराजी पर साधिकार कब्जा–काश्त किया गया हो। चरागाह भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है। उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 30.12.2016 में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील–अपीलान्ट् खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/2/18

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर